


वेबसाइट हेतु

प्रदेश के शासकीय एवं निजी चिकित्सा महाविद्यालयों से वर्ष 2016 में प्रवेशित एवं वर्ष 2022 में इंटरनशीप पूर्ण चिकित्सकों की पदस्थापना हेतु ऑनलाईन काउंसलिंग द्वारा पंजीयन/चॉइस फिलिंग सूचना एवं दिशा-निर्देश

--: ऑनलाईन पंजीकरण/चॉइस फिलिंग हेतु दिशा-निर्देश ::--

1.	प्रदेश के शासकीय एवं निजी चिकित्सा महाविद्यालयों से वर्ष 2016 में प्रवेशित एवं वर्ष 2022 में इंटरनशीप पूर्ण चिकित्सकों की पदस्थापना हेतु ऑनलाईन काउंसलिंग द्वारा पंजीयन/चॉइस फिलिंग एम.पी. ऑनलाईन की वेबसाइट ( <a href="http://www.mponline.gov.in">www.mponline.gov.in</a> ) अथवा एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से दिनांक 25.07.2022 (दोपहर 12:00) से दिनांक 31.07.2022 (रात्रि 12:00) तक किया जावेगा। अवधि समाप्त होने के पश्चात् किसी भी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा।
2.	चिकित्सकों को ऑनलाईन पंजीकरण एवं स्थान चयन (चॉइस फिलिंग) हेतु एम.पी. ऑनलाईन अथवा एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क को निर्धारित शुल्क 255 एवं जी0एस0टी0 18 प्रतिशत का भुगतान चिकित्सक द्वारा किया जाना है।
3.	सम्पूर्ण ऑनलाईन प्रक्रिया में पंजीयन पूर्ण करने के उपरांत किसी प्रकार का त्रुटि सुधार नहीं किया जा सकेगा, अतः चिकित्सक पंजीयन के समय सावधानीपूर्वक पृविष्टियां करें। द्वितीय काउंसलिंग नहीं की जावेगी अतः समस्त चिकित्सक काउंसलिंग में सम्मिलित होंवे।
4.	जिस क्रम में आपके द्वारा संस्था की Choice Filling की जावेगी, उसी क्रम में एम0बी0बी0एस0 में प्राप्तांको के अनुसार चिकित्सक की Merit के आधार पर संस्था का आवंटन किया जाएगा। न्यूनतम 30 संस्था की Choice Filling करना अनिवार्य है। च्वाईस की गई 30 संस्थाओं में से मेरिट अनुसार आवंटन नहीं होने की स्थिति में विभाग मेरिट के आधार पर शेष रिक्तियों में से संस्था का आवंटन करने हेतु स्वतंत्र होगा।
5.	एम.पी.ऑनलाईन में पंजीकरण हेतु आपके Enrollment No. एवं जन्म दिनांक की आवश्यकता रहेगी।
6.	संपूर्ण प्रक्रिया कम्प्युटरीकृत है।
7.	च्वाईस फिलिंग प्रक्रिया उपरांत एम.पी.ऑनलाईन के माध्यम से काउंसलिंग के परिणाम विभाग को प्रेषित किये जावेंगे एवं विभाग द्वारा नियमानुसार नियुक्ति आदेश जारी किए जावेंगे।
8.	ऑनलाईन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की समस्या आने पर या प्रक्रिया से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिये एम.पी.ऑनलाईन के हेल्प डेस्क नंबर 0755-6720200 पर संपर्क कर सकते हैं।

अपर संचालक(विज्ञप्त) द्वारा अनुमोदित

  
उप संचालक(विज्ञप्त)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश